संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

पी.एम.टी. 2010 (एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम आवंटन हेतु) शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविघालयों की द्वितीय काउंसिलिंग की सूचना

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा आयोजित पी.एम.टी. 2010 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा जारी किये गये परीक्षा परिणाम के आधार पर मेरिट सूची के अनुसार उम्मीदवारों को प्रदेश के शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविघालयों/दंत चिकित्सा महाविघालय, इंदौर में एमबीबीएस/बीडीएस की **शेष रिक्त सीटों** पर आवंटन हेतु दिनांक **26.08.2010 एवं दिनांक 27.08.2010** के प्रातः **10.00** बजे से गांधी चिकित्सा महाविघालय, भोपाल में द्वितीय काउंसिलिंग का आयोजन निम्नानुसार किया जा रहा है :-

काउंसिलिंग कार्यक्रम प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से

दिनांक	कार्यक्रम	उम्मीदवारों की श्रेणी/संवर्ग का नाम जिन्हें उपस्थित होना है ।	वे उम्मीदवार जिन्हें काउंसिलिंग में उपस्थित होना है ।
26.08.2010	**स्क्रूटनी एवं आवंटन**	अनूसूचित जनजाति (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से 275 तक सभी पात्र उम्मीदवार
		अनूसूचित जाति (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से 275 तक सभी पात्र उम्मीदवार
		अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से 350 तक सभी पात्र उम्मीदवार
27.08.2010	**स्क्रूटनी एवं आवंटन**	अनारक्षित (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से 650 तक सभी पात्र उम्मीदवार

उक्त आयोजित की जा रही काउंसिलिंग के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कॉल लेटर जारी नहीं किये जा रहे है ।

आवेदक को काउंसिलिंग स्थल पर चार पासपोर्ट साईज फोटो जो कि विगत तीन माह से पुराने न हो लाना आवश्यक होगा । आवेदक का फोटो पी0एम0टी0 प्रवेश परीक्षा फार्म में लगाये गये फोटो के समान होना चाहिये ।

पीएमटी प्रवेश परीक्षा 2010 के बिन्दु क्र. 9.5 के अनुसार सभी मूल अभिलेख तथा इन अभिलेखों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के दो सैट के बगैर काउंसिलिंग में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी ।

पीएमटी प्रवेश परीक्षा में चयनित अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को काउंसिलिंग मे उपस्थित होने पर जिनका आवंटन स्वशासी दंत एवं चिकित्सा महाविघालय में प्राप्त होता है ऐसे उम्मीदवार सुरक्षा निधि के रूप में रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) एवं आरक्षित

श्रेणी (अनूसूचित जनजाति एवं अनूसूचित जाति तथा ओ0बी0सी0) के समस्त उम्मीदवारों, जिनके माता–पिता/संरक्षक की आय रूपये 3.00 लाख से अधिक है, वे रूपये 2,000/– (रूपये दो हजार केवल) का बैंक ड्राफ्ट जो नियम 7.1, 7.1.1 एवं 7.1.2 के अनुसार ''संचालक चिकित्सा शिक्षा, म0प्र0 भोपाल'' के पक्ष में देय हो, आवंटन पश्चात् जमा करना होगा । तदनुपरांत ही उम्मीदवार को आवंटन पत्र प्रदान किया जावेगा ।

उम्मीदवार को काउंसलिंग में स्क्रूटनी के समय फोटो आई0डी0प्रूफ (फोटो लगा पहचान पत्र) एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र, जो एक वर्ष से अधिक पुराना न हो, साथ लाना अनिवार्य है ।

स्क्रूटनी – उपलब्ध सीटों के अनुपात के आधार पर उम्मीदवारों के अभिलेखों की स्क्रूटनी की जावेगी ।

किसी भी श्रेणी में सीटें समाप्त अथवा उम्मीदवार शेष न रहने पर उस श्रेणी की काउंसिलिंग वहीं समाप्त घोषित कर दी जायेगी ।

महत्वपूर्ण सूचना

पी0एम0टी0 की प्रथम काउंसलिंग में बी0डी0एस0 कोर्स में प्रवेशित छात्रों को इस काउंसलिंग में पुर्नआवंटन की पात्रता है । बी0डी0एस0 कोर्स में आवंटन प्राप्त करने वाले छात्र इस काउंसलिंग में उपस्थित हो सकते है, उन्हें मेरिट के आधार पर उनकी श्रेणी / वर्ग में सीट उपलब्ध होने पर काउंसलिंग में भाग लेने की पात्रता होगी ।

प्रथम काउंसलिंग में अनुपस्थित एवं अपूर्ण अभिलेखों/मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर अपात्र घोषित किये गये उम्मीदवारों को भी काउंसलिंग में भाग लेने की पात्रता है । ऐसे उम्मीदवारों को अपने मूल एवं स्पष्ट अभिलेखों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है ।

पात्र उम्मीदवार काउंसिलिंग में उपस्थित होने के पूर्व पीएमटी नियम 2010 का भली भांति अध्ययन कर लें, यदि किसी कारण से उम्मीदवार अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि कोई पाठ्यक्रम अथवा महाविघालय का चयन नहीं करते है तो उनका अधिकार समाप्त हो जायेगा, हालांकि वे अपना नाम, लिखित प्रार्थना कर प्रतीक्षा सूची में रख सकते है । इस प्रकार ''आप्ट फॉर वेंटिंग'' रखने वाले उम्मीदवार/अधिकृत प्रतिनिधि को रिक्त सीट्स उपलब्ध होने पर आगामी काउंसिलिंग के समय बुलाया जायेगा ।

1– यदि उल्लेखित काउंसिलिंग कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना काउंसिलिंग स्थल पर ही चस्पा की जावेगी ।

2– एक उम्मीदवार के साथ केवल एक ही व्यक्ति को काउंसिलिंग स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी जावेगी ।

नोटः– (1) भारतीय चिकित्सा परिषद के दिशा निर्देश अनुसार दृष्टि एवं बधिर अथवा भुजाएं (Upper Limb) के विकलांग उम्मीदवार एमबीबीएस/बीडीएस के लिये अपात्र होंगें ।

(2) **काउंसलिंग के उक्त प्रोग्राम की जानकारी संचालनालय की बेबसाईट www.mp.gov.in/medicaleducation पर भी उपलब्ध है ।**

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश